सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत योजना

देश में औसत आयु बढने के साथ–साथ सेवा निवृत्त व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु मे सेवा निवृत्त हो जाता है और औसतन 70 वर्ष तक सकिय रहता है। न्यूक्लियर व सीमित परिवार होने के कारण व्यक्ति को अकेले ही रहना पडता है और वे जीवन में एक रिक्तता का अनुभव करते है। उनके पास अनुभव का असीम भंडार होता है किन्तु उसका कोई उपयोग समाज में नहीं हो पा रहा है। समाज से जो सम्मान व समृद्धि प्राप्त की है वह उसे किसी न किसी रूप में वापस भी करना चाहता है।

वृद्धावस्था में बीमारियों के अतिरिक्त जीवन में अवसाद भी बढ जाता है। देश की इतनी बडी जनसंख्या यदि इसी वातावरण में रही तो यह देश के विकास के लिए घातक होगा। राज्य प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों का समाज में उपयोग करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत की विभिन्न योजनाओं में नियुक्त कर उनका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन समाज मात्र न्यायिक अधिकारियों से ही नही है । प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा व अभियांत्रिकी अधिकारी/कर्मचारी भी सेवा निवृत्ति के उपरान्त समाज के विकास में योगदान करना चाहते है। आवश्यकता है उनको सम्मान सहित अवसर देने की। जहां बडे बडे शहरों में वरिष्ठ श्रेणी के सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी मिल जायेंगे वहीं छोटे छोटे शहरों,कस्बों एंव गांवों में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता होगी।

यदि प्रत्येक पुलिस थाना/पुलिस चौकी के क्षेत्र में रहने वाले सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची बनाकर उसमें से उपयुक्त, इच्छुक व्यक्तियों का चयन कर उनकी सहायता छोटे छोटे मामलों जैसे मार–पीट, नाले परनाले एंव मेड बंदी आदि के विवादों को सुलझाने में ली जाये, तो न केवल न्यायालय में आने वाले मुकदमों में कमी होगी अपितु समाज में सदभावना भी बढेगी और समाज में पुलिस की स्वीकार्यता भी बढेगी। बस इतना ही सुनिश्चित करना है कि चयन मात्र इच्छुक व उपयुक्त व्यक्तियों का ही किया जाये। यदि इस विचार पर सहमति बनती है तो उसे व्यवहार में भी लाया जा सकता है। जैसे ही कोई विवाद पुलिस थाने मे जाता है तो उसे उक्त चयनित व्यक्तियों में से दो–तीन सदस्यों के पैनलें को संदर्भित कर दिया जाये जो स्थल पर जाकर विवाद को समाप्त करने का प्रयास करेगें। ऐसे व्यक्तियों को विधिक मान्यता देने के लिए प्राधिकरण काउन्सलर के रूप में उन्हें नियुक्त कर सकता है। पुलिस से मात्र इतनी ही अपेक्षा होगी कि वह ऐसे काउन्सलर्स को सम्मान देते हुए उनका सहयोग लेने का प्रयास करे। काउन्सलर के चयन का अधिकार संबंधित जिला जज या सिविल जज को दिया जा सकता है। प्रारम्भ में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाये जो सेवा भाव रखकर इस कार्य के लिए इच्छुक हों। बाद में उनको मार्ग व्यय दिये जाने की व्यवस्था करने के लिए विचार किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि अधिकांश विवादों को पक्षकारों को एक साथ बैठाकर वहीं सुलझाया जा सकता

सचिव-2
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
लखनऊ

है। न्यायालय में आने से वैमनयस्ता में वृद्धि हो जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य प्राधिकरण में प्री– लिटीगेंशन योजना प्रभावी है किन्तु उससे छोटे छोटे मामलों / झगडों को निपटाने में प्रभावी सहायता नहीं मिल पा रही है। तहसील दिवस, थाना दिवस पर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के प्रभावी शमन की सम्भावना नहीं रहती है जब पक्षकारों के बीच के ही लोग रहेंगे जो किसी न किसी रूप में सरकारी सेवक भी रहे है तो उनकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी।

इस प्रकार के काउन्सलर्स को विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबद्ध कर पक्षकारों के बीच सुलह समझौते का प्रयास किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुलह समझौता केन्द्र में मात्र पारिवारिक विवादों पर ही विचार किया जा रहा है। मकान मालिक, किरायेदार, पारिवारिक सम्पत्ति एंव ऐसे अन्य विवादो को ऐसे काउन्सलर द्वारा सुलझाया जा सकता है सुविधानुसार उनके बैठने का समय सांयकाल 4.00 बजे नियत किया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि न्यायालय की प्रकिया आदि का पालन भी सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार एक ही परिसर में छोट छोटे मामलों में सुलह समझौते का प्रयास किया जा सकता है। न्यायालयों में लीगल एड क्लीनिक कार्यरत है। प्रदेशं के 11 जनपदों में मीडियेशन सेन्टर भी कार्यरत है। प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय भी है। इस पृष्ठ भूमि में विस्तृत एंव समयक विचारोपरान्त इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। हो सकता है कि प्रारम्भ में अच्छे परिणाम न मिले लेकिन प्रयासों के बाद प्रभावी परिणाम मिल सकते है।